12/7/19

अपीलान्ट श्री अभय कुमार जैन ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोकसूचना अधिकारी तहसीलदार राजाखेड़ा से वांछित सूचना समय अवधि के उपरान्त भी प्राप्त नहीं होने के कारण तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय को पेश की है।

अतः अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की गई है जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है। कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प01/राज. सम्पर्क/आरटीआई/2018/3377 दि. 15/5/18 के अनुसार लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी उप खण्ड अधिकारी राजाखेड़ा को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः तहसीलदार राजाखेड़ा के विरुद्ध प्रथम अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करें। अतः यह अपील यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अपीलान्ट को पत्र जारी कर सूचित किया जावे।

[मोहन चौहान]
अति. जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner